भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या5126
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर

5126.श्री नवसकनी के. :
श्री सी.एन.अन्नादुरई :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाने वाले एक आदर्श डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर (डीआईसीएससी) की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस परियोजना के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है;
(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की वर्तमान पहुंच क्या है और यह डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के साथ किस प्रकार संरेखित होता है;
(घ) तमिलनाडु राज्य में स्थापित सीएससी की संख्या कितनी है तथा कितने प्रतिशत केंद्र कार्यरत हैं;
(ड.) सरकार द्वारा दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां नेटवर्क संबंधी समस्याएं व्याप्त हैं, में कॉमन सर्विस सेंटरों में पर्याप्त इंटरनेट संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(च) सीएससी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और
(छ) सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने तथा प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ड.)**: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 10 जिलों में ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर 4,740 सीएससी स्थापित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र (डीआईसीएससी) परियोजना को मंजूरी दी है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। ये 10 जिले गांधीनगर, चंबा, पुडुचेरी, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), ममित, जोधपुर, खम्मम, पीलीभीत, गोरखपुर और लेह (लद्दाख) है। परियोजना का कुल बजट परिव्यय 31.6 करोड़ रुपए है।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) परियोजना यानी सीएससी 2.0 डिजिटल इंडिया पहल के तृतीय स्तंभ (पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम) के तहत भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों हेतु सीएससी नेटवर्क का विस्तार करना और नागरिकों तक ई-सेवाओं तक अभिगम बनाना है। सीएससी को स्व-संधारणीय आधार पर ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। ये केंद्र (सीएससी) सरकारी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और आधार से संबंधित सेवाओं, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान आदि सहित 800 से अधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने अवगत कराया है कि फरवरी 2025 तक देशभर में कुल 5,72,664 सीएससी कार्यरत होंगे, जिनमें से 4,51,880 सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत होंगे। तमिलनाडु में कुल 32,180 सीएससी पंजीकृत हैं, जिनमें से फरवरी 2025 तक 19,131 सीएससी कार्यरत होंगे यानी 59.45% सीएससी कार्यरत होंगे।

सीएससी उद्यमिता मॉडल पर कार्य करता है और वीएलई सीएससी की स्थापना के लिए अपना स्वयं का बुनियादी ढांचा तैयार करता है।

दूरसंचार विभाग ने दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) [पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)], दूरसंचार विभाग (डीओटी) से वित्त पोषण के साथ कई कदम और परियोजनाएं शुरू की

हैं। कुछ परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और कई कार्यान्वयन के अधीन हैं। प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

i.**भारतनेट परियोजना को** सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है, और इसका उपयोग फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। दिनांक 04.08.2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट चरण- । और चरण- ॥ के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, 42,000 जीपी (लगभग) में नेटवर्क का निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव और उपयोग के लिए डिजाइन, निर्मित, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है। शेष गैर-जीपी गांवों (लगभग 3.8 लाख) को उनकी संबंधित जीपी से मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। फरवरी-2025 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,323 जीपी को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

ii. देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाओं (4 जी सहित) के प्रावधान के लिए, विभिन्न लक्षित योजनाएं/परियोजनाएं लागू की गई हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए**व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी)**, द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह) के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, सीमावर्ती गांवों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, शामिल नहीं किए गए सभी गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए 4 जी संतृप्ति योजना आदि। देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध न कराने वाले गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्ण करने की परियोजना भी 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही है। फरवरी 2025 तक देश में उपर्युक्त मोबाइल परियोजनाओं के तहत 21,577 गांवों/स्थानों को शामिल किया गया है।

iii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हाई स्पीड इंटरनेट/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2312 किमी) के बीच अगस्त-2020 में **सबमरीनऑप्टिकल फाइबर केबल चालू की गई**। जनवरी -2024 में मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह (1869 किमी) (कुल 11 द्वीप; कावारत्ती , कल्पेनी , अगत्ती , अमिनी , एंड्रोथ , मिनिकॉय, बंगाराम , बित्रा , चेतलाट , किल्टन और कदमथ) के बीच सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी चालू की गई। एफटीटीएच और अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में 225 किलोमीटर ओएफसी नेटवर्क का निर्माण किया गया। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीपों में मोबाइल सेवाओं (4 जी/5 जी) और अन्य हाई-स्पीड डेटा/इंटरनेट सेवाओं को तेजी से शुरू करने की सुविधा प्रदान की है।

(च): सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने अवगत कराया है कि वह निम्नलिखित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा वितरण की निरंतर निगरानी करता है:

i. डैशबोर्ड के माध्यम से निष्पादन ट्रैकिंग, जो प्रत्येक सीएससी पर लेनदेन और सेवा वितरण की निगरानी करती है।
ii. वीएलई और नागरिक शिकायतों को हल करने के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली।
iii. वीएलई की दक्षता और कौशल बढ़ाने के लिए वीएलई के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
iv. जमीनी स्तर पर नियमित लेखापरीक्षा और मूल्यांकन।

(छ): सरकार डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-

- ग्रामीण नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए पीएमजीदिशा (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान) शुरू किया गया है।
- सीएससी, ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक जी2सी/बी2सी सेवाएं (जैसे कि बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, डिजिटल लर्निंग और वित्तीय समावेशन) प्रदान करेंगे।
- भारतनेट परियोजना को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है । फरवरी 2025 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,323 जीपी को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

****